Helpline 1064   94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमन्द में आरोपी श्री देवराज सिंह पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राशि 40,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 28 अप्रेल, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी राजसमन्द द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री देवराज सिंह, पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द को परिवादी की पैतृक जमीन का बटवारा करवाने की सम्पूर्ण कार्यवाही कराने की एवज में रिश्वत राशि 40,000/- रूपये लेते हुए आरोपी श्री देवराज सिंह, पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी राजसमन्द को एक शिकायत इस आशय की मिली कि श्री देवराज सिंह, पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द द्वारा परिवादी की पैतृक जमीन का बटवारा करवाने की सम्पूर्ण कार्यवाही कराने की एवज में रिश्वत राशि 30,000/- रूपये की मांग कर परेशान किया जा रहा हैं।

जिस पर एसीबी रेंज उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में एसीबी चौकी राजसमन्द के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिम्मत चारण** के नेतृत्व में आज मय टीम के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी दलाल श्री देवराज सिंह पुत्र श्री टहला सिंह, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम अकबरपुर फौजदार पुलिस थाना एंव तहसील नगर जिला डीग हाल पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द को रिश्वत राशि 40,000/- रूपये (भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000/- रूपये एवं 500-500 रूपये के 70 डमी नोट कुल 35,000/- रूपये) लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।